अब हम उक्त गद्यांश का सार लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है। सार लिखते समय भाव तो लेखक का रखना होता है, किंतु भाषा अपनी रखनी होती है। लेखक की भाषा लेने पर उपयुक्त सार-लेखन बहुत कठिन हो जाता है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उक्त गद्यांश का सार इस रूप में कर सकते हैं :

> *भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं, पर तुलसीदास उनमें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि वे कोरे कवि ही नहीं, बल्कि चरित्रवान, रामभक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथप्रदर्शक, सरल भाषा में गूढ़ार्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्यद्रष्टा भी थे।*

आपने देखा, कि यह सार मूल गद्यांश का लगभग एक तिहाई है। सार लिखने के बाद यह भी अवश्य देख लेना चाहिए कि कोई महत्त्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गया और कोई अनावश्यक बात तो नहीं लिखी गई। अपनी भाषा भी चुस्त-दुरुस्त कर लेनी चाहिए।

क्रियाकलाप-11.1

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए :

> *लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। वे उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर संप्रदाय के जाल में फँसे हैं। संप्रदाय बाहय कृत्यों पर ज़ोर देते हैं। वे चिह्नों को अपनाकर धर्म के सार–तत्त्व को मसल देते हैं। धर्म मनुष्य को आत्म–साक्षात्कार कराता है, उसके हृदय के किवाड़ों को खोलता है, उसकी आत्मा को विशाल, मन को उदार तथा चरित्र को उन्नत बनाता है। संप्रदाय संकीर्णता सिखाते हैं। ये हमें जात–पाँत, रूप–रंग तथा ऊँच–नीच के भेद–भावों से ऊपर नहीं उठने देते।*

अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(क) इस गद्यांश का मूल भाव क्या है ? सही उत्तर पर (√) तथा गलत पर (X) का निशान लगाइए :

i) धर्म की व्याख्या करना ☐

ii) संप्रदाय की व्याख्या करना ☐

iii) धर्म और संप्रदाय का अंतर स्पष्ट करना ☐

iv) धर्म और संप्रदाय दोनों को एक बताना ☐

v) धर्म से संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्ध करना ☐

vi) संप्रदाय से धर्म को अच्छा बताना ☐

(ख) जिन वाक्यों में व्याख्या है, उनके आगे (√) का निशान लगाइए :

i) लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। ☐

ii) संप्रदाय बाह्य कृत्यों पर ज़ोर देते हैं और धर्म मनुष्य को आत्म-साक्षात्कार कराता है। ☐

iii) बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर संप्रदाय के जाल में फँस रहे हैं। ☐

iv) वे धर्म के सार-तत्त्व को मसल देते हैं। ☐

(ग) जिन वाक्यों में भाव को दोहराया गया है, उनके आगे (×) का निशान लगाइए:

i) धर्म की आड़ में लोग स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ☐

ii) लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना दिया है। ☐

iii) धर्म मनुष्य को आत्म-साक्षात्कार कराता है, उसके चरित्र को उन्नत करता है। ☐

11.6 सार-लेखन के कुछ नमूने

आइए, अब हम सार-लेखन के कुछ उदाहरण देखें :

गद्यांश-1

कहा जाता है कि मानव का आरंभिक जीवन अधिक लचीला और प्रशिक्षण के लिए विशेषकर अनुकूल होता है। यदि माता-पिता, अध्यापक और सरकार – तीनों मिलकर प्रयास करें, तो वे बालक को जैसा चाहें, वैसा वातावरण देकर उसकी जीवन-दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जीवन का यह समय मिट्टी के उस कच्चे घड़े के समान होता है, जिसके विकारों को मनचाहे ढंग से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह पके हुए घड़ों में पाए जाने वाले दोषों में सुधार करना असंभव है, उसी तरह यौवन की दहलीज़ को पार कर बीस-पच्चीस वर्ष के युवक के अंदर आमूल परिवर्तन लाना यदि असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी किसी भी साँचे में ढालकर किसी भी नए रूप में बदली जा सकती है, लेकिन जब वह एक बार, एक प्रकार की बन गयी, तब उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत ही कम सफल हो पाता है। किसी लड़के या लड़की के व्यक्तित्व के निर्माण का मुख्य उत्तरदायित्व हमारे समाज, हमारी सरकार और स्वयं माता-पिता पर है तथा बहुत कुछ स्वयं लड़के या लड़की पर भी। कोई भी व्यक्ति अपने ध्येय में तभी सफल हो सकता है, जब वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भी वैसा करने का प्रयास करे। इस दृष्टि से विद्याध्ययन का समय ही मानव-जीवन के लिए विशेष महत्त्व रखता है। हम सभी का और स्वयं विद्यार्थियों का भी यही कर्त्तव्य है कि सभी इस तथ्य को हमेशा अपने सामने रखें।

सार

बाल्य–काल मानव की वह अवस्था है, जिसमें उसके जीवन को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। युवावस्था प्राप्ति के बाद, उसकी जीवन–दिशा को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी से इच्छा के अनुसार आकृति बना सकते हैं, पक जाने पर उसका रूप–परिवर्तन असंभव है। बालक हो या बालिका, उसके जीवन–निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता–पिता के कंधों पर है। उसके अपने प्रयास भी महत्त्वपूर्ण हैं। प्रारंभ से उस दिशा में प्रयत्न करने पर ही सफलता मिलती है।

गद्यांश-2

हमारे देश में अशिक्षित प्रौढ़ों की संख्या करोड़ों में है। यदि हम किसी प्रकार इनके मानस-मंदिरों में शिक्षा की ज्योति जगा सकें, तो सबसे महान धर्म और सबसे पवित्र कर्त्तव्य का पालन होगा। रेलगाड़ी और बिजली की बत्ती से भी अपरिचित लोगों का होना हमारी प्रगति पर कलंक है। प्रौढ़-शिक्षा योजना इनको प्रबुद्ध नागरिक बनाने की दिशा में क्रियाशील है। इस योजना से गाँवों में एक सीमा तक आत्मनिर्भरता आएगी। हर बात के लिए शहरों की ओर ताकने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। निरर्थक रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फँसे हुए और अपनी गाढ़े पसीने की कमाई को नगरों की भेंट चढ़ाने वाले ये हमारे भाई प्रौढ़ शिक्षा से निश्चित ही सचेत और विवेकी बनेंगे। स्वास्थ्य, सफ़ाई, उन्नति, कृषि तथा आपसी सद्भावना के प्रति प्रौढ़ शिक्षा इनको जागरूक बना सकती है। इससे इनकी मेहनत की कमाई डॉक्टरों की जेबों में जाने से और कचहरियों में लुटने से बचेगी। सबसे बड़ा लाभ तो प्रौढ़ शिक्षा द्वारा यह होगा कि करोड़ों लोग नए ढंग से देखने, सुनने और समझने के साथ-साथ अच्छा आचरण करने में समर्थ होंगे।

हमारे करोड़ों देशवासी आज भी अशिक्षित और पिछड़े हुए हैं। सारे संसार के सामने हम इस कलंक को सिर झुकाए सह रहे हैं। भारत की उन्नति चंद नगरों को जगमग कर देने से नहीं होगी, उसकी सच्ची उन्नति का पैमाना तो यही ग्राम-समुदाय है जिसकी पढ़ने की आयु निकल चुकी, जो स्वयं पढ़ने के महत्त्व से अपरिचित हैं, जिसका तन-मन-धन नगरीय सभ्यता शताब्दियों से लूटती चली आ रही है। ऐसे अज्ञान और अशिक्षा के अंधकार में जीवन बिताने वाले करोड़ों भाइयों-बहनों के प्रति यदि हम आज सचेत और उत्तरदायी बनने की बात सोच रहे हैं, तो देश का बड़ा सौभाग्य है।

सार

अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। प्रौढ़–शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकार और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, नई दृष्टि से सोचने–समझने की शक्ति भी उनमें उत्पन्न होगी। साथ ही, वे शोषण के शिकार भी नहीं बनेंगे।

टिप्पणी

भारत की उन्नति का अर्थ है –गाँवों की उन्नति। यह तभी संभव है, जब वहाँ के अधिक–से–अधिक नागरिक शिक्षित हों। प्रौढ़–शिक्षा कार्यक्रम ही इसका एकमात्र उपचार है। इसे सफल बनाना हम सबका कर्त्तव्य है। इससे देश का गौरव बढ़ेगा।

क्रियाकलाप-11.2

ऊपर दिए गए दोनों गद्यांशों और उनके सार को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश का सार लिखते हुए जिन चरणों का उल्लेख किया गया है, वे यहाँ नहीं है। आप इन गद्यांशों के सार-लेखन के चरणों को यहाँ लिखिए:

गद्यांश -1

मूल भाव..

संबंधित बिंदु..

क्रम...

अनावश्यक सामग्री...

(व्याख्या, दोहराव आदि)

गद्यांश -2

मूल भाव..

संबंधित बिंदु..

क्रम...

अनावश्यक सामग्री...

(व्याख्या, दोहराव आदि)

11.7 सरकारी कार्यालयों में सार-लेखन

आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज में हर फ़ाइल में कागज़ों का ढेर बढ़ता जाता है। एक फ़ाइल में कागज़ों का निपटारा कई सीटों/डेस्कों/काउंटरों से गुज़र कर, कई अधिकारियों के हस्ताक्षरों से और कभी-कभी तो कई विभागों तक घूम कर हो पाता है। अतः समय को बचाने के लिए सहायक द्वारा पत्रों का सार तैयार कर दिया जाता है, ताकि आगे की कार्रवाई के लिए सभी पत्रों को अनिवार्य रूप से न पढ़ना पड़े। फ़ाइल पुरानी हो जाने पर प्रायः पूरी फाइल के महत्त्वपूर्ण बिंदु भी सबसे ऊपर लिख दिए जाते हैं।

सरकारी पत्रों का सार-लेखन करते समय भी मोटे तौर पर सार-लेखन के चरणों का पालन किया जाता है, साथ ही सबसे पहले क्रम-सं., अधिकारी का पद-नाम, संबधित विभाग/मंत्रालय, पत्र सं. तथा दिनांक का उल्लेख भी कर दिया जाता है।

आइए, सरकारी पत्र के सार का एक नमूना देखें :

मूल पत्र

पत्र-संख्या 520/15–20/11
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवंबर, 2011

प्रेषक

श्री आर.एस. मल्होत्रा
उप-निदेशक, हिंदी शिक्षण विभाग
गृह मंत्रालय (भारत सरकार)
नई दिल्ली – 110001

सेवा में,
अवर सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग,
नई दिल्ली।

विषय : अध्यापक द्वारा 'हिंदी आलेखन तथा टिप्पण कला' का विक्रय।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपसे यह ज्ञात करूँ कि आपके कार्यालय में कार्य करने वाले अध्यापक श्री सेवाराम शर्मा, जिनका अभी-अभी इस केंद्र से अन्यत्र स्थानांतरण हुआ है, ने आपके यहाँ स्वयं लिखित पुस्तक 'हिंदी आलेखन तथा टिप्पण कला' की प्रतियाँ उन छात्र-पदाधिकारियों को बेची हैं, जो उस समय हिंदी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो राजकीय नियमों के विरुद्ध है। यह भी ज्ञात हुआ है कि ये प्रतियाँ सौ-सौ रुपए में बेची गई थीं। अतः इस मामले की छानबीन कर शीघ्र ही लिख भेजने की कृपा करें, जिससे अध्यापक से शीघ्र ही उत्तर माँगा जा सके।

भवदीय
ह०/–
(आर.एस. मल्होत्रा)
उप-निदेशक

टिप्पणी

सार

क्रम–संख्या 25 – उप–निदेशक, शिक्षा मंत्रालय का पत्र–संख्या 520/15-20/11 दिनांक 20.11.11

1. *उप–निदेशक ने अपने पत्र में इस हिंदी केंद्र के अध्यापक श्री सेवाराम शर्मा के संबंध में लिखा है कि उन्होंने स्वयंलिखित पुस्तक 'हिंदी आलेखन तथा टिप्पण कला' को सौ रुपए प्रति पुस्तक के मूल्य पर बेचा है।*

2. *आपने बताया है कि स्वयं लिखित पुस्तकों को छात्रों में बेचना राजकीय नियमों के विरुद्ध है।*

3. *छानबीन कर शीघ्र उत्तर देने की अपेक्षा की गई है।*

आपने क्या सीखा

- सार-लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए एक तिहाई शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

- सार-लेखन की उपयोगिता जीवन के कई क्षेत्रों में है। अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार-संपादक समाचारों का सार-लेखन करता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन में भी चूँकि समय की पाबंदी होती है, इसलिए सार-लेखन की ज़रूरत पड़ती है। लेखों, पुस्तकों का भी सार-लेखन किया जाता है। कार्यालयों में पत्रों या फाइलों में सिमटे पूरे पत्राचार का सार-लेखन करना पड़ता है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं।

- सार-लेखन के मुख्य चरण ये हैं :

  – मूल सामग्री को दो-तीन बार ध्यान से पढ़ना

  – मूल बिंदु का चयन

  – संबंधित बिंदुओं का चयन

  – मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना

  – अनावश्यक सामग्री को छोड़ना और एक-तिहाई आकार में सार-लेखन।

- सार-लेखन में मुहावरों-लोकोक्तियों, कथाओं, अलंकारों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई विशेष शैली नहीं अपनाई जाती।

- सरकारी पत्रों का सार लिखते समय भी मोटे तौर पर सार-लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि इनमें सबसे पहले क्रम-संख्या, अधिकारी के पद-नाम, संबंधित विभाग/मंत्रालय, पत्र-संख्या तथा दिनांक का भी उल्लेख कर दिया जाता है।

योग्यता विस्तार

1. आप अख़बार तो पढ़ते ही होंगे। ज़रा उसमें से कुछ समाचारों की कटिंग निकाल लीजिए। अब सोचिए कि अगर आप समाचार-संपादक होते और इन समाचारों के लिए आपके पास एक-तिहाई स्थान ही होता तो आप उस समाचार को किस तरह लिखते और लिख भी डालिए।

2. अगर इन्हीं समाचारों के लिए दूरदर्शन में आपके पास 45-45 सेकंड का समय है, तो इन समाचारों को आप कैसे लिखेंगे? लिखकर देखिए।

3. व्याकरण की जो भी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, उनमें से 'अनेक शब्दों के लिए एक शब्द' वाली सूची पढ़ें और उन्हें याद करें।

पाठांत प्रश्न

निम्नलिखित अंशों का सार-लेखन एक तिहाई शब्दों में कीजिए :

1. सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का हाथ रहता है। धर्म ने मनुष्य के मन में सुधार किया है और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। धर्म हमारे मन को बल देता है और सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम आदि सभी अच्छे गुण धर्म के कारण हैं। धर्म हृदय में पैदा होता है। विज्ञान प्रकृति को जीतता है जबकि धर्म सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से मन को जीतता है। इसीलिए यदि धर्म और विज्ञान मिलकर काम करें, तो वह दिन दूर नहीं, जब हम केवल राज्यों और देशों से अपने को जोड़ने की संकुचित प्रवृत्ति को छोड़ देंगे और समस्त संसार को अपना समझने लगेंगे।

2. आज की भारतीय शिक्षित नारी को अच्छी गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद उसकी बदली हुई मनःस्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के लिए पत्नी के सुख का ध्यान रखे, तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पत्नी और पति का कर्त्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएँ और एक-दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आख़िर नारी भी तो मनुष्य है। उसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं और वह भी परिवार में, पड़ोस में तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है, तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए।

3. जो राष्ट्र अपनी मानसिक संपत्ति की उचित रक्षा करता है तथा उसे उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करता है, केवल वही राष्ट्र मान, उत्साह तथा स्वतंत्रता के साथ इस संसार में जीवित रह सकता है। राष्ट्र के बालक-बालिकाएँ राष्ट्र की मानसिक और

नैतिक संपत्ति हैं, जो प्राकृतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण हैं। जो राष्ट्र इस धन की उचित रक्षा और उन्नति नहीं करता, वह उन्नति के पथ से हट कर अवनति के गड्ढे की ओर फिसलने लगता है।

4. निम्नलिखित पत्रों के कथ्य को सार के रूप में लिखिए :

(क)

सं. 102/न–3/8–03 दिनांक : 18 अगस्त, 2011

प्रेषक :

ज़िलाधिकारी

देहरादून

सेवा में,

अवर सचिव
ग्राम पंचायत विभाग
उत्तराखंड सरकार
देहरादून

विषय : ग्राम पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों के लिए पर्वतीय भत्ते की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

इस ज़िले के लिए स्वीकृत वर्ष 2010–11 के बजट में पर्वतीय भत्ते के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य स्थानों की अपेक्षा महँगाई अधिक है। इसी वजह से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत समस्त सरकारी कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाता है। पर्वतीय भत्ता देने का प्रावधान इस जिले पर भी लागू होता है। इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 2010–11 के बजट में ग्राम पंचायत कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते का भुगतान करने हेतु इस मद में रु. 15,00,000/– (रुपए पंद्रह लाख मात्र) की व्यवस्था की जाए और पिछले साल खर्च हुई राशि के लिए कार्य हो जाने के पश्चात् मंजूरी प्रदान की जाए।